Collateral Security/Guarantees for Sanction of Loans to Farmers

4546. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that public sector banks ask for collateral security by way of mortgage of land or third party guarantee to sanction agricultural loan to farmers which is an irritant to the farmers in getting loans from the banks;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what remedial measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) to (c) As reported by Reserve Bank of India (RBI), security norms prescribed for advances to agriculture are liberal as compared to industry. It was earlier prescribed by RBI that the banks are not required to take collateral security by way of mortgage of land or third party guarantee for crop loans and term loans (where movable assets are created) upto Rs. 25,000/- granted by them for agricultural purposes. In case of term loans for agriculture where movable assets are not created, banks are not required to obtain mortgage of land as security for loan amount upto Rs. 10,000/-. The above security norms have since been revised and banks have been advised that they may use their discretion on matters relating to security/margin requirements for agricultural loans above Rs. 10,000/-.

Target set for disinvestment

4547. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the targets set for disinvestment during 1995-96, 1996-97 and 1997-98;

(b) whether these have been realised;

(c) the reasons for the poor performance in this regard;

(d) the details of measures stipulated to improve the position; and

(e) the target set for disinvestment during 1998-99?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) The targets set for disinvestment and the actual realisation are as follows:—

(Rs. in Crores)

	Target set for Disinvestment	Actual Realisation
1995-96	7,000	352
1996-97	5,000	455
1997-98	4,800	906

(c) The amount targetted could not be realised due to highly volatile and adverse market conditions in these years.

(d) The Government has decided to partially disinvest its equity in Gas Authority of India Ltd. (GAIL), Indian Oil Corporation (IOC), Videsh Sanchar Nigam Ltd. (VSNL) and Container Corporation of India Ltd. (CONCOR) during the year 1998-99. The details of offering will be worked out at the relevant time with reference to prevailing market conditions and other factors. The process of strategic Sale/Alliance in respect of Modern Food Industries Ltd. (MFIL), Bharat Aluminium Co. Ltd. (BALCO), Kudremukh Iron Ore Co. Ltd. (KIOCL), India Tourism Development Corporation (ITDC) and Bongaigaon Refineries & Petrochemicals Ltd. (BRPL) are also in progress.

(e) The target for 1998-99 is Rs. 5,000 crores.

बैंक में खाता खोलने के लिए परमानेंट एकाउंट नम्बर की आवश्यकता

4548. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अब बैंक में नया खाता खोलने के लिए भी स्थायी खाता क्रमांक (परमानेंट एकाउंट नम्बर) की आवश्यकता पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) बैंक में खाता खोलने के लिए स्थायी खाता संख्या (पी ए एन) या जी आई आर संख्या का उल्लेख करना कोई शर्त नहीं है जिनके पास पी ए एन संख्या/जी आई आर संख्या हैं वे उनका उल्लेख करेंगे किन्तु जिनके पास इनमें से कोई नम्बर नहीं है, वे अपनी पहचान का उल्लेख करते हुए इस आशय की घोषणा करें। किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को बैंक खाता खोलने में इससे बाधा नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री जी ने भी कृषिहर आदि व्यक्तियों के लिए स्थायी खाता संख्या आदि लिखने की अनिवार्यता को समाप्त करने के अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस विषय पर अपेक्षित अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी।

(ख) कर-आधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। बैंकिंग प्रणाली में आ रहे बेहिसाब/बेनामी लेनदेन को रिकार्ड में दिखलाए जाने की दृष्टि से भी ऐसा किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में तकनीकी संवर्ग की पदोन्नति

4549. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में तकनीकी संवर्ग को केवल श्रेणी "ख" तक ही पदोन्नति दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भर्ती के समय तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि दक्षतारोध पार करने के बार उन्हें "श्रेणी ङ" में पदोन्नति दी जाएगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नीति का 1992 तक अनुपालन किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में इसका अब भी अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में इस नीति का अनुपालन बंद होने के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि नाबार्ड में तकनीकी अधिकारियों को ग्रेड "डी" (उप महाप्रबंधक) से ऊपर शीर्ष कार्यपालक पदों तक प्रोन्नित दी जाती है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, नाबार्ड में तकनीकी सेवा से ग्रेड "एफ" के मुख्य महाप्रबंधक (सी जी एम) रैंक के तीन अधिकारी तथा ग्रेड "ई" के महाप्रबंधक (जी एम) रैंक के नौ अधिकारी हैं। एक मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं तथा दो अन्य अधिकारी प्रधान कार्यालय मुम्बई में विभागाध्यक्ष है। तकनीकी सेवा में अधिकारियों की कुल संख्या तथा तकनीकी सेवा के जी एम तथा सी जी एम की संख्या का अनुपात 1:4.95 है। इस प्रकार, नाबार्ड की तकनीकी सेवा में वरिष्ठ कार्यपालक श्रेणी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि उसके द्वारा भर्ती के समय या अन्य किसी अवसर पर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि तकनीकी अधिकारियों को ग्रेड "ई" में प्रोन्नति दक्षतारोध पार करने के बाद दी जाएगी जो केवल नाबार्ड द्वारा वेतनमान में, विशेष रूप से कनिष्ठ अधिकारियों के वेतनमानों में वृद्धि की मंजूरी के लिए न कि प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए प्रचालित की जाती है। यह भी सूचित किया गया है कि पदोन्नतियों को दक्षतारोध पार करने पर आधारित करने की नीति नाबार्ड द्वारा कभी भी नहीं अपनाई गई है।

नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक में उनकी आर्थिक सेवा में ग्रेड "डी" से ग्रेड "ई" में प्रोन्नतियां उनके कार्यनिष्पादन रिपोर्ट, साक्षात्कार तथा दक्षतारोध से प्रभावित होती हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने भी सूचित किया है कि उनके यहां भी ग्रेड "डी" से ग्रेड "ई" में प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार के अलावा चयन का कोई अन्य माध्यम नहीं है।

Provision of stagnation increments in State Bank of Indore

4550. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a provision in Bipartite Settlement of 1989 that clerical staff on reaching the maximum in their scales will get stagnation increments after three years in State Bank of Indore;

(b) if so, whether stagnation increments have been given each year in